भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2937
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

2937. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:
सुश्री एस. जोतिमणि:
डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि लगभग 6 करोड़ वृद्ध लोग निर्धनतम लोगों की श्रेणी में आते हैं;
(ख) क्या सरकार का जीवन-यापन की लागत को पूरा करने और इसे बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत 200 रुपये की वर्तमान गैर-अंशदायी पेंशन राशि को बढ़ाने का विचार है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध जनसंख्या के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने वृद्धों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान पेंशन राशि की पर्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और
(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों की पेंशन रद्द की गई है , उनका राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा यह संख्या कितनी है साथ ही उनके रद्द होने के क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या

अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार , कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की संख्या 2011 में 10 करोड़ थी जो वर्ष 2036 में बढ़कर 23 करोड़ हो जाने की उम्मीद है - कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 15.0 प्रतिशत हो जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध आबादी के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:-

(i) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को 200 रुपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर इन लाभार्थियों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह है। तथापि , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता के अलावा अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में , वृद्धावस्था पेंशन के तहत यह राशि प्रति लाभार्थी 50 रुपये से 3000 रुपये प्रति माह तक है। परिणामस्वरूप , कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था लाभार्थियों को औसतन 1000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है।

(i i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एक व्यापक योजना अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है , योजना के घटकों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) 15वें वित्त आयोग समयावधि (2021-26) के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजनाओं को जारी रखने पर विचार करते समय , सरकार द्वारा योजनाओं के तहत लाभार्थी समावेशन और सहायता की दर में संशोधन पर विचार किया गया। तथापि , उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए , सरकार ने एनएसएपी योजनाओं को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। वर्तमान में , एनएसएपी के तहत समावेशन/सहायता की दर को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) समय -समय पर, एनएसएपी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रभाव आकलन और मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के निष्कर्षों के अनुसार , एनएसएपी के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता लाभार्थियों की दिन -प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक रही है। सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ इस कार्यक्रम ने गरीबों और निराश्रितों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

(ङ) एनएसएपी दिशा -निर्देशों के अनुसार , एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन , लाभार्थियों का चयन /सत्यापन, लाभार्थियों को पेंशन का वितरण , पेंशन बंद करना , लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की जिम्मेदारी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों की है। एनएसएपी - पेंशन भुगतान प्रणाली (एनएसएपी-पीपीएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्ज की गई जानकारी के आधार पर, वर्ष 2022 से हटाए गए आईजीएनओएपीएस लाभार्थियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा, कारणों सहित, **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

****

लोकसभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2937 के उत्तर के भाग (क) और (ग) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का ब्यौरा
1	**वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आई.पी.एस.आर.सी.) -** वरिष्ठ नागरिक आश्रय गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय , पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
2	**वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) -**, भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य योजना में भागीदारी और उसे कार्यान्वित करने में सभी राज्य सरकारों की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। जागरूकता प्रसार , लाभार्थियों को संवेदनशील बनाने , मोतियाबिंद सर्जरी और राज्य विशिष्ट कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।
3	**एल्डरलाइन -** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन का उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अधिनियम , योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता प्रसार करना और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना है।
4	**राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) -** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों या 15000/- रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों और उम्र के कारण होने वाली विकलांगता/दुर्बलताओं से पीड़ित लोगों को ऐसे शारीरिक सहायक उपकरण और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना है , जिससे उनके शारीरिक कार्यों को लगभग सामान्य स्थिति में लाया जा सके। यह योजना दिनांक 01.04.2017 को शुरू की गई

	थी। इस योजना को 'कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के माध्यम से एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जाता है।
5	**सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) –** सामान्यतः सामने आने वाली समस्याओं के लिए नए और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए , बुजुर्गों के कल्याण के लिए उत्पादों , प्रक्रियाओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्ट -अप का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और निधि इक्विटी के रूप में प्रदान की जाएगी , बशर्ते कि सरकारी निवेश फर्म की कुल इक्विटी का 49% से अधिक न हो।
6	**जराचिकित्सा देखभाल करने वालों के लिए प्रशिक्षण-** इसका मुख्य उद्देश्य, जराचिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को कम करना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही जराचिकित्सा के क्षेत्र में पेशेवर देखभाल करने वालों का एक वर्ग तैयार किया जा सके। कार्यक्रम जराचिकित्सा देखभाल करने वाली विशिष्ट , पेशेवर रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा , जो मनोरंजन , प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से समग्र कल्याण, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों, फिजियोथेरेपी, मनोभ्रंश, पक्षाघात, प्रोस्टेट, पार्किंसंस, अल्जाइमर, अवसाद सहित सामान्य और आकस्मिक और संकटकालीन चिकित्सा स्थितियों में सहायता , धार्मिक और आध्यात्मिक सहायता , लाइलाज बीमारी और मृत्यु आदि से जूझ रहे रोगियों और परिवारों के समग्र प्रबंधन से संबंधित बुजुर्ग आबादी की विविध और गतिशील जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। जराचिकित्सा देखभाल करने वालों की बढ़ती कमी और बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए , विभाग ने मांग को पूरा करने के लिए जराचिकित्सा देखभाल करने वालों के क्षेत्र में 1,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
7	**वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल:** स्वस्थ और जीवंत आयुवृद्धि संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए , देश भर में कई पहल की जा रही हैं। प्रस्तावित पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को ज्ञान संवर्धन में शामिल करना है जो पूरे समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

लोकसभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के संबंध में नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2937 के उत्तर के भाग (ङ) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-II

आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत हटाए गए लाभार्थियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	हटाने का कारण	2022-2023	2023-2024	2024-2025	कुल
1	अंडमान और निकोबार	मृत	0	7	11	**18**
2	अरुणाचल प्रदेश	मृत	1	0	0	**1**
3	असम	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	0	464	211	**675**
		मृत	71314	12709	23918	**107941**
		अपात्र-आयु	681	209	525	**1415**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	3533	443	1358	**5334**
		अपात्र- सत्यापन में	7112	3094	3120	**13326**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	1420	383	1169	**2972**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	3566	11974	6476	**22016**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	1363	384	1129	**2876**
		लापता होने के कारण रोकी गई	2867	4849	6631	**14347**
4	बिहार	मृत	0	535975	0	**535975**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	0	14151	0	**14151**

5	चंडीगढ़	अयोग्य-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	0	0	1	**1**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	0	0	3	**3**
6	छत्तीसगढ	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	7	146	17	**170**
		मृत	35029	28047	22952	**86028**
		योग्य	0	0	0	**0**
		अपात्र-आयु	61	300	3322	**3683**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	1614	1527	2360	**5501**
		अपात्र- सत्यापन में	1676	1509	1954	**5139**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	524	435	635	**1594**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	589	837	371	**1797**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	422	458	1217	**2097**
		लापता होने के कारण रोकी गई	162	232	1067	**1461**
7	दिल्ली	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	1	2	6	**9**
		मृत	3329	2675	2304	**8308**
		अपात्र-आयु	6	0	3	**9**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	142	2	1	**145**
		अपात्र- सत्यापन में	925	12	109	**1046**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	12	10	2	**24**

		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	23	2	3	**28**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	407	476	12	**895**
		लापता होने के कारण रोकी गई	2612	3938	610	**7160**
8	गोवा	मृत	2	0	0	**2**
9	गुजरात	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	111	84	169	**364**
		मृत	29119	22991	20581	**72691**
		अपात्र-आयु	99	56	19	**174**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	867	1392	674	**2933**
		अपात्र- सत्यापन में	2556	676	1137	**4369**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	271	487	493	**1251**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	2131	1556	947	**4634**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	2154	1255	2106	**5515**
		लापता होने के कारण रोकी गई	2212	659	2279	**5150**
10	हरियाणा	मृत	0	2826	0	**2826**
		अपात्र- सत्यापन में	0	114	0	**114**
11	जम्मू और कश्मीर	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	0	3207	151	**3358**
		मृत	3214	16554	3070	**22838**

		अपात्र-आयु	8	105	34	**147**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	21	417	381	**819**
		अपात्र- सत्यापन में	56	5522	762	**6340**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	1	238	69	**308**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	0	2225	7	**2232**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	11	2286	403	**2700**
		लापता होने के कारण रोकी गई	7	3002	2173	**5182**
12	झारखंड	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	54	757	275	**1086**
		मृत	34809	37690	19305	**91804**
		अपात्र-आयु	859	62	12	**933**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	271	748	286	**1305**
		अपात्र- सत्यापन में	2106	172	29	**2307**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	183	508	45	**736**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	992	2063	318	**3373**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	240	1552	540	**2332**
		लापता होने के कारण रोकी गई	522	1143	448	**2113**
13	कर्नाटक	मृत	0	201975	70150	**272125**
14	लद्दाख	मृत	0	0	824	**824**

		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	0	0	3	**3**
		अपात्र- सत्यापन में	0	0	2	**2**
		लापता होने के कारण रोकी गई	0	0	4	**4**
15	लक्षद्वीप	मृत	30	8	0	**38**
		अपात्र- सत्यापन में	1	0	0	**1**
16	मध्य प्रदेश	मृत	0	0	124452	**124452**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	0	0	153116	**153116**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	0	0	15768	**15768**
17	महाराष्ट्र	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	120	1109	141	**1370**
		मृत	70032	45287	13412	**128731**
		अपात्र-आयु	369	147	195	**711**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	4314	2321	695	**7330**
		अपात्र- सत्यापन में	11819	4652	313	**16784**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	2576	267	127	**2970**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	22468	14396	2323	**39187**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	8230	3605	781	**12616**
		लापता होने के कारण रोकी गई	4999	1107	806	**6912**
18	मणिपुर	मृत	2811	2250	393	**5454**
		अपात्र-आयु	2	31	10	**43**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	3	86	25	**114**

		अपात्र- सत्यापन में	0	16	10	**26**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	1	1	0	**2**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	0	1	1	**2**
		लापता होने के कारण रोकी गई	0	1	0	**1**
19	मेघालय	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	0	23	1	**24**
		मृत	2405	3911	1913	**8229**
		अपात्र-आयु	29	1	0	**30**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	526	112	45	**683**
		अयोग्य- सत्यापन में	316	77	167	**560**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	28	60	18	**106**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	4	144	864	**1012**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	493	55	15	**563**
		लापता होने के कारण रोकी गई	3	1	3	**7**
20	मिजोरम	मृत	3116	319	114	**3549**
		अयोग्य-आयु	0	1	0	**1**
		अयोग्य-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	65	95	1	**161**
		अयोग्य- सत्यापन में	144	1020	192	**1356**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	15	0	0	**15**

		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	1	0	0	**1**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	3	0	0	**3**
21	ओडिशा	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	1	6	85	**92**
		मृत	48095	51410	50606	**150111**
		अयोग्य-आयु	62	232	181	**475**
		अयोग्य-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	3276	3234	2049	**8559**
		अयोग्य- सत्यापन में	801	945	1063	**2809**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	145	263	485	**893**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	904	1317	1690	**3911**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	105	98	362	**565**
		लापता होने के कारण रोकी गई	283	306	301	**890**
22	पंजाब	मृत	0	10693	1	**10694**
		अयोग्य-आयु	0	4	0	**4**
		अयोग्य-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	0	75	0	**75**
		अमान्य- सत्यापन	0	1876	0	**1876**
23	राजस्थान	मृत	0	0	63016	**63016**
		अयोग्य-आयु	0	0	56412	**56412**
		अयोग्य-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	0	0	6697	**6697**

		अयोग्य-सत्यापन में	0	0	0	**0**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	0	0	25014	**25014**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	0	0	0	**0**
		लापता होने के कारण रोकी गई	0	0	32531	**32531**
24	तमिलनाडु	स्थायी रूप से प्रवास के कारण	0	402	91	**493**
		लापता होने के कारण रोका गया	0	438384	62166	**500550**
25	त्रिपुरा	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	2	1717	1087	**2806**
		मृत	3958	6838	6766	**17562**
		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	5	143	565	**713**
		अपात्र- सत्यापन में	0	83	59	**142**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	0	0	4	**4**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	2	121	279	**402**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	2	1073	20	**1095**
		लापता होने के कारण रोकी गई	10557	364	87	**11008**
26	पश्चिम बंगाल	लाभार्थी की मृत्यु के कारण पीएफएम के ज़रिए बैंक द्वारा स्वतः रोकी गई	453	701	61	**1215**
		मृत	233059	84266	93412	**410737**
		अपात्र-आयु	339	451	263	**1053**

		अपात्र-डुप्लीकेट रिकॉर्ड	3863	3225	2082	**9170**
		अपात्र- सत्यापन में	12058	6523	3911	**22492**
		स्थायी रूप से प्रवास के कारण	9318	6051	3599	**18968**
		अस्थायी रूप से प्रवास के कारण	19277	28335	12241	**59853**
		अमान्य खाते के कारण रोकी गई	2913	1406	672	**4991**
		लापता होने के कारण रोकी गई	10814	7165	3410	**21389**
	कुल		**717489**	**1676383**	**956362**	**3350234**

(स्रोत: एनएसएपी-पीपीएस)